



2026:AHC:25697-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2190 /2026

प्रशांत

एवं

अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य
(गण)

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राजेश्वर प्रसाद सिन्हा

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान कुछ धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है।
3. इसके दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका को नहीं करना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
6. नियमों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

5 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"